



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 / 25 मार्गशीर्ष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 9th December, 2025

No. TPT-A(1)-1/2023-Vol.-II.—In continuation to this department notification of even number dated 09-06-2025, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to grant further extension in
201—राजपत्र / 2025—16—12—2025 (9125)

service for a period of six months with effect from 12-12-2025 to 11-06-2026 in favour of Sh. Ajay Sharma, Director, Ropeways and Rapid Transport System Development Corporation (RTDC) Ltd. in public interest.

By order,
Sd/-
(R. D. NAZEEM, IAS),
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 10th December, 2025

No. TPT-A(1)-1/2015-II.—The Governor Himachal Pradesh is pleased to withdraw the notification of even number dated 14-10-2025 with immediate effect.

The Governor Himachal Pradesh in exercise of powers conferred under Section 5 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) is further pleased to re-instate the notifications of even number dated 01-09-2023 and 03-04-2025 to designating the PIOs and Appellate Authority of Transport Department for the purpose of implementation of Right to Information Act, 2005 with immediate effect.

By order,
Sd/-
(R. D. NAZEEM, IAS),
Addl. Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 10th December, 2025

No. TPT-C(9)-4/2017-L.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration mark **HP-97 B alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering and Licensing Authority, Indora, District Kangra, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,
Sd/-
(R. D. NAZEEM, IAS),
Addl. Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 11th December, 2025

No. TPT-C(9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot/release registration mark **HP-19 G alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering and Licensing Authority, Amb, District Una, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,
Sd/-
(R. D. NAZEEM, IAS),
Addl. Chief Secretary (Transport).

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री अमित भाटिया पुत्र श्री बीर सिंह भाटिया, निवासी गांव घुगराड़, डाकघर चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती रिया भाटिया पुत्री श्री पुष्पराज भाटिया, निवासी वार्ड नं0 11, लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अमित भाटिया पुत्र श्री बीर सिंह भाटिया, निवासी गांव घुगराड़, डाकघर चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रिया भाटिया पुत्री श्री पुष्पराज भाटिया, निवासी वार्ड नं0 11, लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 21-02-2025 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत चान्दपुर, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 21-02-2025 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 31-12-2025 या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें। अन्यथा श्री अमित भाटिया पुत्र श्री बीर सिंह भाटिया, निवासी गांव घुगराड़, डाकघर चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती रिया भाटिया पुत्री श्री पुष्पराज भाटिया, निवासी वार्ड नं0 11,

लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत चान्दपुर, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा: श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी गांव सुंगल, डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती अस्मिता राय पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव चलालडू, डाकघर लैहड़ी सरेल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी गांव सुंगल, डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अस्मिता राय पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव चलालडू, डाकघर लैहड़ी सरेल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 21-02-2025 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध स्थानीय पंजीयक के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बिनौला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 21-02-2025 को दर्ज करने बारा में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित हों। अन्यथा श्री अजय कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी गांव सुंगल, डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अस्मिता राय पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी गांव चलालडू, डाकघर लैहड़ी सरेल, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत बिनौला, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

भूपिन्द्र सिंह राणा पुत्र प्यार सिंह, गांव जड्डा, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में भूपिन्द्र सिंह राणा पुत्र प्यार सिंह, गांव जड्डा, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25-04-1974 को घर पर ही हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भूपिन्द्र सिंह राणा पुत्र प्यार सिंह, गांव जड्डा, डाकघर बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

नखरो पुत्री लोचू, गांव बन्नी, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में नखरो पुत्री लोचू, गांव बन्नी, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1963 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त नखरो पुत्री लोचू, गांव बन्नी, डाकघर कुनेड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

चरनू पुत्र मुन्शी, गांव रचन, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में चरनू पुत्र मुन्शी, गांव रचन, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक बिबू देवी का जन्म दिनांक 28-11-2008 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त बिबू देवी पुत्री चरनू पुत्र मुन्शी, गांव रचन, डाकघर खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा उपरोक्त की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

मखौली पुत्र चुहड, गांव कैलाठ, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में मखौली पुत्र चुहड, गांव कैलाठ, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-08-1966 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मखौली पुत्र चुहड, गांव कैलाठ, डाकघर कुनेड की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

अर्चना देवी पुत्री धार सिंह, गांव अगाहर, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अर्चना देवी पुत्री धार सिंह, गांव अगाहर, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 09-06-2001 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अर्चना देवी पुत्री धार सिंह, गांव अगाहर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जरमू पुत्र ध्याना, गांव गुहाला, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में जरमू पुत्र ध्याना, गांव गुहाला, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03-04-1965 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जरमू पुत्र ध्याना, गांव गुहाला, डाकघर राडी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

रिछिया पुत्री चुहड़ू, गांव लोथल, डाकघर चूडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में रिछिया पुत्री चुहड़ू, गांव लोथल, डाकघर चूडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-04-1974 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लोथल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लोथल को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रिछिया पुत्री चुहड़ू, गांव लोथल, डाकघर चूडी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लोथल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

नैणो पुत्री जयदयाल, गांव जौवा, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में नैणो पुत्री जयदयाल, गांव जौवा, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1964 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त नैणो पुत्री जयदयाल, गांव जौवा, डाकघर गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

उमा देवी पुत्री माधो, गांव व डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में उमा देवी पुत्री माधो, गांव व डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 30-01-1968 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त उमा देवी पुत्री माधो, गांव व डाकघर सुनारा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

विनोद पुत्र कर्म चन्द, गांव भटवाडा, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में विनोद पुत्र कर्म चन्द, गांव भटवाडा, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की का जन्म दिनांक 12-01-2021 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की नामक अंशिका ठाकर की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अंशिका ठाकर पुत्री विनोद की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा उपरोक्त की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जैसो राम पुत्र लबधी, गांव सेरी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में जैसो राम पुत्र लब्धी, गांव सेरी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे भाई नामक विष्णू दत्त की मृत्यु दिनांक 10-10-1995 को बस दुर्घटना में हुई है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे भाई की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत गुराड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरे भाई की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त विष्णू दत्त पुत्र लब्धी, निवासी गांव सेरी, डाकघर किलोड की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के भाई की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जगदीश चन्द पुत्र धारो राम, गांव गुराड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में जगदीश चन्द पुत्र धारो राम, गांव गुराड, डाकघर राख, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 22-10-1976 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुराड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त जगदीश चन्द पुत्र धारो राम, गांव गुराड, डाकघर राख में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 03-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार इन्दौरा, तहसील इन्दौरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 61/तह/2025

तारीख दायरा : 01-11-2023

श्री केवल सिंह पुत्र मुख राज, निवासी गांव राजा खासा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख।

मुश्त्री मुनादी/नोटिस

उपरोक्त नाम दुरुस्ती संबंधी मिसल इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री केवल सिंह पुत्र मुख राज, निवासी गांव राजा खासा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम अन्य अभिलेखों में केवल सिंह दर्ज है, जोकि सही नाम है, जबकि राजस्व अभिलेख महाल राजा खासा में उसका नाम केवल कृष्ण अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस कारण उसने अपने नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-12-2025 को असातन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

श्रीमती कुण्डी देवी पुत्री रेलू राम व पत्नी मिलाप चंद, निवासी महाल मझेड, डा0 भुलाना,
उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती कुण्डी देवी पुत्री रेलू राम व पत्नी मिलाप चंद, निवासी महाल मझेड, डा0 भुलाना, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका जन्म दिनांक 28-07-1948 को महाल डोली कला व डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत चढ़ियार में मेरा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि स्थानीय पंचायत को मेरा जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश दिये जावें।

अतः आम जनता को इशतहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

श्रीमती मीरा कुमारी पुत्री अमर सिंह, निवासी महाल व डा0 सलहेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती मीरा कुमारी पत्नी अमर सिंह, निवासी महाल व डा0 सलहेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका जन्म दिनांक 21-07-1965 को महाल व डा0 सलहेरा, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत छेक में मेरा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि स्थानीय पंचायत को मेरा जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश दिये जावें।

अतः आम जनता को इशतहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

श्रीमती सपना देवी पुत्री ज्ञान चंद, निवासी महाल व डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती सपना देवी पुत्री ज्ञान चंद, निवासी महाल व डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका जन्म दिनांक 27-07-1985 को महाल व डा0 ननवार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत चढ़ियार में मेरा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि स्थानीय पंचायत को मेरा जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश दिये जावें।

अतः आम जनता को इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री शेर सिंह, निवासी महाल व डा0 दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती निर्मला देवी पुत्री शेर सिंह, निवासी महाल व डा0 दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनका जन्म दिनांक 05-05-1962 को महाल व डा0 दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत दरुग में मेरा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि स्थानीय पंचायत को मेरा जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश दिये जावें।

अतः आम जनता को इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल दुरुस्ती नं0 : 29/C/2025 तारीख पेशी : 27-12-2025

श्री रोहित शर्मा पुत्र शक्ति चंद, निवासी महाल कुडंग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री रोहित शर्मा पुत्र शक्ति चंद, निवासी महाल कुडंग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका असल नाम रोहित शर्मा है। उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल कुडंग पटवार वृत्त कुडंग के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रोहित दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी महाल कुडंग पटवार वृत्त कुडंग के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुश्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल दुरुस्ती नं0 : /C/2025 पेशी तारीख : 27-12-2025

श्री अशोक कुमार पुत्र धनी राम, निवासी महाल कोठी, डा0 व मौजा संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय — नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र धनी राम, निवासी महाल कोठी, डा0 व मौजा संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसके पिता का असल नाम धनी राम है। उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल कोठी व मंदरेरा पटवार वृत्त बरवालखड व महाल समलेतर पटवार वृत्त कुडंग के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम धारी दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी महाल कोठी व मंदरेरा पटवार वृत्त बरवालखड व महाल समलेतर पटवार वृत्त कुडंग के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के पिता के नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती मिसल दुरुस्ती नं0 : 31 / C / 2025 तारीख पेशी : 27-12-2025

श्री सिकन्दर राणा पुत्र जगदीश चंद, निवासी महाल बरवालखड, डा0 व मौजा संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय — नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री सिकन्दर राणा पुत्र जगदीश चंद, निवासी महाल बरवालखड, डा0 व मौजा संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम सिकन्दर राणा है। उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल तेण व बरवालखड पटवार वृत्त बरवालखड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सिकन्दर सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी महाल तेण व बरवालखड, पटवार वृत्त बरवालखड के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

श्री भूमि सिंह राणा पुत्र दुनी चंद, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय — नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री भूमि सिंह राणा पुत्र दुनी चंद, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय स्वघोषणा-पत्र द्वारा सूचित किया है कि उसका असल नाम भूमि सिंह राणा है। उनके अन्य अभिलेख में भी इसी नाम से प्रविष्टी दर्ज है। जबकि महाल ढण्डोल व बल्ह पटवार वृत्त खैला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम श्री भूमि सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। अतः प्रार्थी महाल ढण्डोल व बल्ह पटवार वृत्त खैला के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती शशी देवी पत्नी प्रवीण कुमार, निवासी महाल राज नगर, डा0 संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती शशी देवी पत्नी प्रवीण कुमार, निवासी महाल राज नगर, डा0 संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके ससुर श्री बरडू राम पुत्र श्री स्वारू की मृत्यु दिनांक 23-11-1972 को महाल राज नगर, डा0 संसाई, उप-तहसील चढ़ियार में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कोठी में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इनकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 28-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Pankaj Kumar aged 30 years s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Bhoran Chanalti, P.O. Silh, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

2. Sonjika Marak aged 22 years d/o Sh. Paulush Sangma Jalpara VTC Sat Gaon, P.O. Satgaon, Sub-Distt. Donka, Distt. Karbi Anglong, State Assam.

Applicants.

Versus

General Public

Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954 (Intended Marriage)

The above applicants have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 12-01-2026 at 11.00 A.M. The objection (s) after 12-01-2026 at 11.00 A.M. will not be entertained by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this day on 5th day of December, 2025 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री रतीराम, निवासी एवं डाकघर नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती कमलेश देवी पुत्री श्री रतीराम, निवासी डाकघर नौहराधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 05-05-1976 है और उसे ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-12-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर कमलेश देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती रीना पुत्री श्री मायाराम, निवासी डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती रीना पुत्री श्री मायाराम, निवासी डाकघर पुन्नरधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र

प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 10-05-1989 है और उसे ग्राम पंचायत पुनरधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-12-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर रीना की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

वीना कुमारी पुत्री श्री जियालाल, निवासी भटेवड़ी, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र वीना कुमारी पुत्री श्री जियालाल, निवासी भटेवड़ी, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 05-11-1991 है और उसे ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-12-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर वीना कुमारी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री लेखराम, निवासी भोग-भटेवड़ी, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री लेखराम, निवासी भोग-भटेवड़ी, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 26-04-1983 है और उसे ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-12-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर नीलम कुमारी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री सुनील दत्त पुत्र श्री मस्तराम, निवासी निहोग, डाकघर सेर तन्दुला, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुनील दत्त पुत्र श्री मस्तराम, निवासी निहोग, डाकघर सेर तन्दुला, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 01-01-2012 है और उसे ग्राम पंचायत गवाही के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-12-2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें, बसूरत दीगर सुजल शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H. P.)Case No.
50/2025Date of Institution
01-12-2025Date of Decision
30-12-2025

Sh. Sant Ram s/o Late Sh. Dhanu Ram, r/o Village Dugnu, P.O. Dhundan, Tehsil Arki,
Distt. Solan (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Regarding delayed registration of birth event under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Sant Ram s/o Late Sh. Dhanu Ram, r/o Village Dugnu, P.O. Dhundan, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that he was born on 01-07-1965 at Village Dugnu, but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Dhundan, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Dhundan, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is, hereby informed that any person having objection for registration of delayed birth in respect of Sh. Sant Ram, may submit their objections in writing to this office on or before 30-12-2025 at 10.00 A.M, failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 01st day of December, 2025.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).*

Office of the Sub-Divisional Magistrate Arki, District Solan (H. P.)Case No.
51/2025Date of Institution
02-12-2025Date of Decision
31-12-2025

Sh. Shamsher Singh s/o Late Sh. Devi Ram, r/o Village and P.O. Manjoo, Tehsil Arki,
Distt. Solan (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Regarding delayed registration of death event under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Shamsher Singh s/o Late Sh. Devi Ram, r/o Village and P.O. Manjoo, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) has filed a case under section 13 (3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that his Grand Father Late Sh. Narayanu s/o Sh. Molak was expired on 03-04-1956 at Village and P.O. Manjoo, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) but his death has not been entered in the records of Gram Panchayat Palog, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) as per the Non-availability Certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Palog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is, hereby informed that any person having objection for registration of delayed death in respect of Late Sh. Narayanu, may submit their objections in writing to this office on or before 31-12-2025 at 10.00 A.M, failing which no objection will be entertained afterwards.

Given under my hand and seal of this office on this 02nd day of December, 2025.

Seal.

Sd/-
(NISNANT TOMAR H.A.S.),
Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer Kasauli,
District Solan (H.P.)**

1. Sh. Gaurav Panwar aged 23 years D.O.B. 01-06-2002, s/o Sh. Maan Chand, r/o V.P.O. Badhalag, Sub-Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.).

2. Ms. Lalima Thakur aged 19 years D.O.B. 22-06-2006, d/o Sh. Khem Raj, r/o Village Jalana, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Gaurav Panwar aged 23 years D.O.B. 01-06-2002, s/o Sh. Maan Chand, r/o V.P.O. Badhalag, Sub-Tehsil Krishangarh, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Ms. Lalima Thakur aged 19 years D.O.B. 22-06-2006, d/o Sh. Khem Raj, r/o Village Jalana, Tehsil Arki, Distt. Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 15-09-2025 that their marriage was solemnized on 14-07-2025 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 29-12-2025, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 29-11-2025 by my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(MAHENDER PRATAP SINGH, HAS),
Marriage-Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Kasauli, District Solan (H.P.).

**In the Court of Shri Rajeev Ranta, Assistant Collector, 1st Grade Solan,
District Solan (H.P.)**

Case No. 31/13-B (R-1) 2025

Pending Date : 31-12-2025

Smt. Premlata d/o Smt. Munna & Late Shri Inderveer, resident of Village Kawdi, Sub-Tehsil Narag, District Sirmaur, H.P. and married address resident of Village Kudia Kadang, P.O. Didag, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur, H.P. . *Applicant.*

Versus

General Public

. *Respondent.*

Subject.—An application under section 37(1) of the H.P. Land Revenue Act, 1954 for correction of revenue entry in revenue record situated at Mauza Dharon, bearing Khasra number 80/33, measuring 00-05-00 Bigha as per copy of Jamabandi for the year 2023-24.

Whereas, the applicant has preferred an application for correct her name in revenue record of Mauza Dharon, Patwar Circle Jaunaji, Tehsil & District Solan record as BABLI which is wrong, whereas her correct name is PREMLATA.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the correction of name in revenue record may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 31-12-2025 at 2.00 P.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 27th day of November, 2025.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector, 1st Grade,
Solan, District Solan (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 05/NTB/B/2025

तारीख दायरा : 17-11-2025

दिनेश कुमार

बनाम

आम जनता

मुश्री मुनादी.—आम जनता वासी महाल घुगन ककराना, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना, हि0प्र0

विषय.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र किशन चन्द, गांव घुगन ककराना, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 30-03-1995 को महाल घुगन ककराना में हुआ था और अज्ञानतावश उनके माता-पिता द्वारा ग्राम पंचायत थानाकलां के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि दर्ज न करवाई जा सकी है, लिहाजा जन्म तिथि 30-03-1995 (स्कूल प्रमाण-पत्र) के अनुसार दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत थानाकलां, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थी की जन्म तिथि

30-03-1995 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील बीहड़ कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Sadanand Sankhyan s/o Late Sh. Kirpa Ram Sankhyan, r/o Sankhyan Building, Lower Totu, Shimla, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171011 declare that in my Aadhar Card my name was wrongly entered as Sadanand Sankhyan which should be corrected as Sada Ram Sankhyan. Please correct this.

SADANAND SANKHYAN
s/o Late Sh. Kirpa Ram Sankhyan,
r/o Sankhyan Building, Lower Totu, Shimla,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.)-171011.

CORRECTION OF NAME

I, Sunita w/o Sh. Kanthi Ram, r/o Village Awantha, P.O. Sangna, Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that in my revenue record my name is wrongly entered as Sumitra Devi. Whereas my correct name is Sunita. Please note.

SUNITA
w/o Sh. Kanthi Ram,
r/o Village Awantha, P.O. Sangna,
Tehsil Sangrah, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kulbhushan Sood s/o Sh. Jagat Ram Sood, r/o Sharma Niwas, Khalini, Shimla-171002 declare that Kulbhushan Jagat Ram Sood & Kulbhushan Sood is the name of one & same person. All concerned please note.

KULBHUSHAN SOOD
s/o Sh. Jagat Ram Sood,
r/o Sharma Niwas, Khalini,
Shimla-171002.

CORRECTION OF NAME

I, Sunita w/o Sh. Sanjay Kumar, r/o Village Saidan, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dharni, District Shimla (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name is entered as Shrishti Sharma whereas her correct name is Srishti. Please note.

SUNITA
w/o Sh. Sanjay Kumar,
r/o Village Saidan, P.O. Shakrah,
Sub-Tehsil Dharni,
District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manoj Kumar s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Durbhar, P.O. Irra, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.)-171210 declare that I have changed my minor daughter's name from Anjal (Old Name) to Angel (New Name). All concerned please may note.

MANOJ KUMAR
s/o Sh. Sant Ram,
r/o Village Durbhar, P.O. Irra,
Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.)-171210.

CORRECTION OF NAME

I, Neeta Devi w/o Raj Kumar, r/o VPO Kariara, Tehsil Dehra, District Kangra, (H.P.) declare that my name is wrongly recorded in Aadhar Card as Anita Devi but in school record of my son Abhishek Sadyal, it is recorded as Neeta Devi which is correct. That Anita Devi & Neeta Devi are the same and one person and may be corrected in Aadhar Card as Neeta Devi w/o Raj Kumar. Concerned note.

NEETA DEVI
w/o Raj Kumar,
r/o VPO Kariara, Tehsil Dehra,
District Kangra, (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ajudhya Devi w/o Sh. Bhagwan Dass, r/o VPO Tiara, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Judhiya Devi to Ajudhya Devi for all purposes is future. Please note.

AJUDHYA DEVI
w/o Sh. Bhagwan Dass,
r/o VPO Tiara,
Tehsil & Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dicey Singh s/o Sh. Paras Ram, r/o Village Saned, P.O. Rajain, Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 5819 8403 4577 my name is wrongly entered as Deesi Singh. Whereas my correct name is Dicey Singh. I shall be known as Dicey Singh for all purposes in future. All concerned please note.

DICEY SINGH
s/o Sh. Paras Ram,
r/o Village Saned, P.O. Rajain,
Tehsil Sihunta, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Deepika Dhiman w/o Dr. Raj Kumar Soorya, r/o Mohalla Dharog, P.O. Chamba, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Deepika to Deepika Dhiman. All concerned please may note.

DEEPIKA DHIMAN
w/o Dr. Raj Kumar Soorya,
r/o Mohalla Dharog, P.O. Chamba,
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Poonam Sharma w/o Sh. Shashi Kumar, r/o VPO Chamned, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in Aadhar Card of my daughter Aradhya Sharma bearing number 2343 6813 0908 her name is wrongly entered as Aradya Sharma. Whereas her correct name is Aradhya Sharma. Please note.

POONAM SHARMA
w/o Sh. Shashi Kumar,
r/o VPO Chamned,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Digvijay Y Thakur s/o Yogeshwar Singh Thakur, r/o # 175/5, W. No. 05, Yamuna Vihar, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Yashwitha Thakur to Yashitha Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

DIGGVIJAY Y THAKUR
s/o Yogeshwar Singh Thakur,
r/o # 175/5, W. No. 05, Yamuna Vihar,
Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tek Chand s/o Sh. Chuni Lal, r/o Village Jood, P.O. Chanawag, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171103 declare that I have changed my son's name from Getender (previous name) to Jitender Kumar (New Name). All concerned please may note.

TEK CHAND
s/o Sh. Chuni Lal,
r/o Village Jood, P.O. Chanawag,
Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171103.

CHANGE OF NAME

I, Nirmala Devi w/o Sh. Roop Lal, r/o Village Janjhel (306), P.O. Ropri, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) -175024 declare that I have changed my name from Nirbla (Old Name) to Nirmala Devi (New Name). All concerned please may note.

NIRMALA DEVI
w/o Sh. Roop Lal,
r/o Village Janjhel (306), P.O. Ropri,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) -175024.
